/100551/2023

ई0 पत्रावली संख्या–29982

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांक 20 फरवरी, 2023**

विषयः– जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1518/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0–27(योजना), दिनांक 12.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–228/दो(21)/2022, दिनांक 01.12.2022 द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure मद से जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी की योजना के प्रथम फेस हेतु रू0 22.04 करोड़ (रूपये बाईस करोड़ चार लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष रू0 11.02 करोड़ (रूपये ग्यारह करोड़ दो लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त की गयी है।

3– उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी की योजना (फेस–01 एवं फेस–02) लागत रू0 3565.24 लाख (रूपये पैंतिस करोड़ पैंसठ लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रथम फेस की लागत धनराशि रू0 22.04 करोड़ के सापेक्ष अवमुक्त रू0 11.02 करोड़ (रूपये ग्यारह करोड़ दो लाख मात्र) की धनराशि नियोजन विभाग के उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में अंकित प्रतिबन्धों एवं निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

- **(i)** सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित धनराशि अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।
- **(ii)** धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
- **(iii)** व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

/100551/2023 **(iv)** धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जाएगी।

(v) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों, तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।

(vi) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vii) कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(ix) तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वयं कार्य स्थल का निरीक्षण करते हुए लेवलस् की जांच कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ड्रेन के Gradient का समुचित प्राविधान किया गया है एवं नाला/नदी/तालाब के एच0एफ0एल0 के अनुसार ही सम्पूर्ण Catchment Area का Disposal Plan प्रस्तावित है।

(x) ड्राइंग एवं डिजाइन का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है।

(xi) निर्माण कार्य औद्योगिक/ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है। अतः कार्य को सावधानीपूर्वक एवं पूर्ण संवेदनशीलता के साथ निष्पादित कराया जाय, जिससे की किसी प्रकार की हानि न हो।

(xii) निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय। निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

(xiii) आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

(xiv) आगणन में दरें एस0ओ0आर0 2021 एवं डी0एस0आर0 2018 की ली गयी है, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से प्राप्त कर उन मदों की दरों को डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 आदि में प्राविधानित दर विश्लेषण के अनुसार ही दर विश्लेषित कर प्राविधान किया जाय। बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 एवं शासनादेश संख्या–103/XXVIII(7)32/2007. TC-1, दिनांक 21 जुलाई, 2022 के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

(xv) योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness एवं Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(xvi) योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvii) शासनादेश संख्या–1164/II(2)/2018–4(11)/2010,टी0सी0–I, दिनांक 18.06.2018 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xviii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च 2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जन

/100551/2023

शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2– उक्त के साथ ही नियोजन विभाग द्वारा प्रथम फेस के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 22.04 करोड़ के उपयोग के पश्चात द्वितीय फेस के कार्यो हेतु सुसंगत मद से धनराशि की व्यवस्था के लिये सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय तथा शासन से धनराशि स्वीकृति के पश्चात ही द्वितीय फेस के कार्य शुरू किये जाय।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–99356/2023, दिनांक 14 फरवरी, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 17-02-2023 19:01:51

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

<u>ई0 पत्रावली संख्या–29982, तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 20-02-2023 11:15:45

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।